



भारत की सामाजिक प्रगतिशीलता और स्त्री

डा. बलवीर सिंह जम्बाल

प्रिंसीपल वी.के. एम. कालेज ऑफ एजुकेशन

बलाचैर, जिला शहीद भक्त सिंह नगर

पंजाब, भारत

शोध संक्षेप

भारत की प्रगति को नारी से जोड़ कर देखा जाता है। प्राचीन काल में नारी को पुरुष के बराबर अधिकार मिले हुए थे। कालांतर में अनेकानेक कारणों से नारी के अधिकार कम होते गए। आधुनिककाल में सुधारवादी आन्दोलन के परिणामस्वरूप स्त्री के प्रति नजरिये में बदलाव प्रारंभ हुए। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी विषय पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

नारी का सम्मान व तिरस्कार समय-समय पर होता आ रहा है। कभी नारी को देवी की तरह पूजा गया और कभी नारी को चार दिवारी के अन्दर घुट-घुट कर जीना पड़ा। कभी नारी को जन्म लेने से पहले ही माँ की कोख में मार दिया गया तो कभी जन्म लेने के बाद मारा गया। नारी ने इतने कष्ट व जुल्म सहे फिर भी अपना फर्ज निभाती रही और निभा रही है। स्त्री के सामने कितनी चुनौतियाँ हैं, फिर भी वह इन चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकारें स्त्री की शिक्षा व उत्थान के लिए अनथक प्रयास कर रही हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव स्त्री पर हो रहा है। समाज की प्रगति में वह भी अपनी सहभागिता निभा रही है। सच ही कहा गया है कि “नारी ही जग जननी है नारी से ही तो संसार है”। नारी का प्राचीन समय में सम्मान किया जाता था, एक देवी की तरह पूजा जाता था। वैदिक युग तो इसका जीता जागता उदाहरण है।

जिसमें कोई भी कार्य नारी के बिना अधूरा माना जाता था। समय के साथ नारी का सम्मान कम होता गया। नारी के सम्मान के स्थान पर तिरस्कार होना शुरू हो गया। एक स्त्री किसी की पत्नी है तो, किसी की माँ है, किसी की बहिन है, किसी की बेटा है, किसी की बहू है, किसी की सास है, किसी की मौसी है, किसी की ननद है और किसी की भाभी है। इस स्त्री का अपमान व तिरस्कार पुरुष ने शुरू कर दिया। यह बहुत बड़ी विडंबना है।

आज नारी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना करके उसे अपना वर्तमान व भविष्य बचाना पड़ रहा है। उसे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ रही है।

चुनौतियाँ

धर्मयुग बीत गया, कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग में स्त्री का जीवन चुनौतियों से भरा है। इसके सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:-

घरेलू हिंसा:-

जिस नारी की घर में पूजा की जाती थी, आज उस नारी का तिरस्कार किया जाता है। उसका शोषण किया जाता है। बच्चे को जन्म देने वाली मशीन समझा जाता है। घरेलू हिंसा के कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। इनका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। कई नारियों के साथ तो बड़े अत्याचार हुए हैं, परन्तु उनको इन्साफ नहीं मिल पा रहा है।

भ्रूण हत्या

भ्रूण हत्या को सभी धर्मों में पाप समझा जाता है। फिर भी भ्रूण हत्या का मामला पर्दे के पीछे चल रहा है। लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है और लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। जब समाज में किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं और जब लड़की होती है तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। माता-पिता द्वारा लड़के और लड़की में भेद करने की बात किसी से छिपी नहीं है।

यौन शोषण और बलात्कार

आजकल टी.वी. पर और अखबारों में हम यौन शोषण व बलात्कार जैसी निंदनीय घटनाओं के बारे में प्रतिदिन पढ़ते और देखते हैं। सरकार के इतने सख्त कानूनों के बावजूद भी मनचलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक स्त्री का अकेले घर से बाहर निकलना कठिन व खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई नारी इसके खिलाफ आवाज उठाने का हौसला करती भी है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है।

शिक्षा का अभाव

शिक्षा का अभाव भी नारी के सामने बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि लड़का और लड़की एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। परन्तु परवरिश

में यह अंतर दिख जाता है। बेटी ने तो बेगाने घर जाना है यहाँ पक्षपात है कि उसको उसके अधिकारों से बंछित रखा जा रहा है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं लड़कियों के लिए चलाई हैं। लेकिन इतनी योजनाओं के बावजूद भी लड़कियां इन योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं उठा पर रहीं हैं, क्योंकि घर वालों की नकारात्मक सोच इसके लिए जिम्मेवार है। वह अपनी बेटियों को घर से दूर नहीं भेजना चाहते। बिना शिक्षा के नारी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ नहीं सकती। आज हम बड़े-बड़े वायदे करते हैं लेकिन हमारे समाज में कितनी नारियां पढ़ी लिखी हैं कितनी उच्च शिक्षा ले चुकी हैं और ले रहीं हैं ?

शारीरिक निर्बलता

ऐसा माना जाता है कि नारी का शारीरिक विकास पुरुष के मुकाबले कमजोर होता है। नारी अपने दुर्बल शरीर के साथ पुरुष का मुकावला करना कठिन समझती है। वैसे भी नारी का खान-पान थोड़ा पुरुष के मुकाबले कम व अलग होता है। सरकार नारियों के पोष्टिक आहार के लिए हर तरह सावधानी वरतने की सलाह देती आई है और दे रही है।

दहेज प्रथा

दहेज प्रथा भी नारी के सामने एक बड़ी चुनौती है। दहेज के डर से माँ-बाप बेटी को पसन्द नहीं करते। अगर दहेज के बिना शादी कर देते हैं तो दहेज लोभी लड़की को तंग करते हैं। इसलिए नारी के सामने यह बड़ी चुनौती है। दहेज से दुखी होकर कई नारियों को अपने जीवन की अहुति देनी पड़ी।

पर्दा प्रथा



वैसे तो कहते हैं कि पर्दा प्रथा जैसी कुरीति समाप्त हो चुकी है, परन्तु अब भी पर्दा प्रथा प्रचलित है। आप किसी भी गाँव में चले जाओ, आज भी पर्दा प्रथा मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में ही है अन्य देशों में भी यह कुरीति है। कई धर्म तो ऐसे हैं जहाँ पर पर्दा प्रथा प्रचलित है।

बाल विवाह प्रथा

बाल विवाह प्रथा वैसे तो कानूनी अपराध घोषित कर दिया है परन्तु अभी भी चोरी छिपे बाल विवाह हो रहे हैं। यह भी नारी के सामने एक बड़ी चुनौती है।

समाजिक बन्धन

पता नहीं क्यों समाजिक बन्धन भी नारी के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नारी अपनी मर्जी से अकेली नहीं जा सकती। अकेली होकर बात तक नहीं कर सकती। समाजिक बन्धन एक बड़ी चुनौती है। पता नहीं क्यों पुरुष की सोच इतनी नकारात्मक बन गई।

बच्चों का पालन पोषण

बच्चों का पालन पोषण करने की पूरी जिम्मेवारी केवल नारी पर होती है। घर के काम का बोझ नारी पर है। बच्चों का पालन पोषण करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई करना इस कारण नारी का जीवन बड़ा व्यस्त है। जिस कारण नारी कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाती है। यह भी नारी के सामने एक बड़ी चुनौती है।

सुझाव

1.सबसे पहले तो नारी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए।

2.नारी को भ्रूण हत्या जैसे मामलों को सरकार के सामने लाना चाहिए। एक नारी ही नारी का कत्ल करवा रही है इसके लिए नारी ही जिम्मेवार है। नारी को बचाने के लिए काली का रूप धारण करके सरकार को भरपूर सहयोग करना चाहिए।

3.नारी को शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कम से कम निःशुल्क योजना का लाभ तो उठाना चाहिए।

4.नारी को घरेलू हिंसा के प्रति आवाज को बुलंद करना चाहिए । मगर सत्य के ऊपर किसी के कहने पर नहीं।

5.सामाजिक कुरितियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नारी जाति को एक जुट होना चाहिए।

6.नारी को अपने शरीर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसको शाक्तिशाली बनाने के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए।

7.घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उसे प्रयास करने चाहिए। पुलिस को, या पंचायत या स्वयं की सहायता लेनी चाहिए।

8.नारी को यौन शोषण और बलात्कार जैसी निंदनीय घटनाओं से बचना चाहिए। अगर कोई मनचला उससे हरकत करता है या कुछ गलत करता है या गलत करने की कोशिश करता है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। उसकी तुरन्त सूचना घरवालों व पुलिस को देनी चाहिए। पूर्ण कार्यवाही तक प्रशासन का साथ देना चाहिए।

9.माँ बाप को चाहिए की वह अपने लड़के के ऊपर नज़र रखे । यदि वह गलत रास्ते पर चलता है तो उसे रोक देना चाहिए । अगर नहीं माने तो प्रशासन की सहायता ले लेनी चाहिए।



अगर बच्चा गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे छुड़ाया नहीं जाना चाहिए।

10.हर माता पिता को चाहिए कि लड़की को लड़के के बराबर अधिकार दें तथा शिक्षा उस स्तर तक लेने में सहायता करें। कम से कम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने में भरपूर सहयोग करें।

11.सरकार को चाहिए कि मनचलों के ऊपर पूरा शिकंजा कसे ताकि लड़कियों के दिल व मन पर जो डर या खतरा बना हुआ है वह खत्म हो जाये।

12.नारी को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए।

13.पुरुषों को चाहिए की नारी को नीचे स्तर का दर्जा न दें। साथ में समाज को चाहिए कि नारी को अपने बराबर का दर्जा प्रदान करे।

14.सरकार को चाहिए की मूल्य शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाया जाए।

15.मनचलों को सोचना चाहिए कि आप की हरकतों से किसी भी नारी का जीवन वर्वाद हो सकता है उनको इतना सोचना चाहिए कि यदि यही हरकत आपकी माँ या बहन के साथ कोई अन्य व्यक्ति करता है तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।

16.स्कूलों में व गाँव में या दोनों में शारीरिक रक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए।

17.अश्लील फिल्मों या दृष्य पर सरकार द्वारा पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए।

18.50 प्रतिशत सीटें हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए।

19.सरकार बनाने में 50 प्रतिशत बहुमत या भागीदारी होनी अनिवार्य कर देनी चाहिए।

20.महिलाओं के केस की सुनवाई महिला जज या अन्य अधिकारी होनी चाहिए।

21.महिलाओं के साथ बलात्कार व यौन शोषण जैसी निंदनीय घटनाओं का निपटारा जल्दी होना चाहिए।

22.नारी को चाहिए कि सत्य के रास्ते पर चले और हमेशा सच्चाई का साथ दें।

23.समाज को चाहिए कि नारी के प्रति जो सोच नकारात्मक है उसको बदलें।

24.पुरुष, नारी शरीर के हवस के पुजारी न बनें।

25.समाज सेवकों, साधु सन्तों व राजनेताओं को चाहिए कि वे आगे आएँ और समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें और नारी को शिक्षा व सुरक्षा के लिए एक जुट कार्य करें और जागृत करें।

निष्कर्ष

हमारे देश की सरकार स्त्री के प्रति होने वाले अन्यायों को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है। हाल ही में किशोर की परिभाषा को भी बदला गया है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून तो है, परन्तु पूरी तरह अमल में नहीं आने से वांछित परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के कारण स्त्री अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ मुखर तो हुई है, परन्तु उसे न्याय पाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही स्त्री की दशा और दिशा को सुधारा जा सकता है।

सन्दर्भ

1.मोन्टी जे (एन.डी) ह्यूमन राईट एजुकेशन नई दिल्ली: दीप खण्ड दीप पब्लिकेशन



2. पाटिल के पी.एस. (1998) एजुकेशन आफ गर्ल्स एण्ड वूमन (फिफ्थ सर्वे आफ एजुकेशनल रिसर्च) (1988-92) टरैण्ड रिपोर्ट्स, एन. सी. ई. आर. टी
3. इण्डिया मनीस्ट्री आफ ह्यूमन रिजॉसिस डिप्लोमैट (1992) नेशनल पोलसी आन एजुकेशन फार इकुलिटी एम- एच. आर. डी. रिपोर्ट्स, एन.सी.ई.आर.टी. 88